

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम— प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरुपयोग निवारण अधिनियम)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष— A.8.1

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या— PNDD & Sex Ratio

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —

राज्य में लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं है । राज्य में प्रति हजार पुरुषों पर मात्र 927 महिलाएँ हैं। अल्ट्रासाउण्ड के द्वारा गर्भस्थ शिशु की लिंग जाँच कर गर्भपात के भी कई मामले हैं जो विपरीत लिंगानुपात को बढ़ावा देते हैं । अतः स्वास्थ्य प्रदाता को इस विषय पर जागरूक करना हमारी प्राथमिकता है । जिला तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर इस हेतु जागरूकता कार्यशाला (बेटी बचाओ कार्यशाला) का आयोजन किया जाना है ।

इकाई राशि (कार्यशाला/क्लिनिक का निरीक्षण/जिला सलाहकार समिति की बैठक के लिये) —

क्लिनिक के निरीक्षण हेतु राशि —इस राशि का उपयोग निगरानी करने वाले पदाधिकारी के वाहन के ईंधन तथा जलपान हेतु व्यय किया जाएगा।

ईंधन— वास्तविक व्यय के आधार पर (Govt. of Bihar)

जलपान (Tea, Snacks) — अधिकतम ₹० 50 /—

Sl. No.	Items	Amount (Unit Cost)
1.	Venue Hiring	4500max./Day
2.	Working Lunch/Tea Snack	7500/- @150/per person/per Day for 50 person
3.	Honorarium to Guest Faculty/State for one person	1000/Day =
4.	Photocopy/Stationery etc.(for training material)	2000/-
5	Monitoring at District level and Meeting of District level Committee	10000/-
एक इकाई को प्रति वर्ष आवंटित की जाने वाली राशि ₹० — 25000 /—		

वित्तीय दिशा निर्देशन —जिलों को आवंटित राशि जो कि संबंधित मद में दिया गया है उसके अन्तर्गत 15000 /— ₹० प्रति कार्यशाला की दर से जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है । जिसका निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाएगा । जिला आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की इकाई मदों को परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र है । इसके अतिरिक्त टीम बनाकर क्लिनिक का निरीक्षण भी प्रशिक्षित चिकित्सक करेगे । साथ ही जिला सलाहकार समिति की बैठक भी जिलों में इकाईवार की जानी है । इस गतिविधि के लिए 10000 /— ₹० प्रति प्रा०स्वा०केन्द्र की दर से जिलों को राशि आवंटित की गई है । कार्यशाला तथा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का खर्च जोड़कर राशि का आवंटन किया गया है ।

मूल्यांकन — कार्यशाला का मूल्यांकन, मूल्यांकन-प्रपत्र के आधार पर जवाबदेही जिला कार्यक्रम प्रबंधक की होगी ।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम—डा० एन० के० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर—9470003022




1.6.10

Budget for Pre-conception & Pre-natal Diagnostic Techniques in 38 Districts of Bihar, 2010-11

ROP/FMR Budget Code No.(as per ROP 2010-11): Part- A no.- 8.1

ROP/FMR Budget Head : PNDT & Sex Ratio

Sl. No	Name of District	No. of PHC	ROP approved amount allocation (in Rs. lakhs)	Total District Annual Allocation (FY 2010-11) (in Rs. lakhs)
1	Araria	9	225000	225000
2	Arwal	5	125000	125000
3	Aurangabad	11	275000	275000
4	Banka	11	275000	275000
5	Begusarai	18	450000	450000
6	Bhagalpur	16	400000	400000
7	Bhojpur	14	350000	350000
8	Buxar	11	275000	275000
9	Champan East	27	675000	675000
10	Champan West	18	450000	450000
11	Darbhanga	18	450000	450000
12	Gaya	24	600000	600000
13	Gopalganj	14	350000	350000
14	Jamui	10	250000	250000
15	Jahanabad	7	175000	175000
16	Kaimur	11	275000	275000
17	Katihar	16	400000	400000
18	Khagaria	7	175000	175000
19	Kishanganj	7	175000	175000
20	Lakhisarai	7	175000	175000
21	Madhepura	13	325000	325000
22	Madhubani	19	475000	475000
23	Munger	9	225000	225000
24	Muzaffarpur	16	400000	400000
25	Nalanda	20	500000	500000
26	Nawada	14	350000	350000
27	Patna	23	575000	575000
28	Purnea	14	350000	350000
29	Rohtas	19	475000	475000
30	Saharsa	10	250000	250000
31	Samastipur	20	500000	500000
32	Saran	20	500000	500000
33	Sheikhpura	7	175000	175000
34	Sheohar	4	100000	100000
35	Sitamarhi	17	425000	425000
36	Siwan	19	475000	475000
37	Supaul	11	275000	275000
38	Vaishali	17	425000	425000
	State Level		1200000	1200000
	Total	533	14525000	14525000

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम : INNOVATION/PPP

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- लोकनिजी साझेदारी (चिरंजीवी योजना)

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या : A. 8.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राज्य के मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कम करने के प्रयास के अंतर्गत चिरंजीवी योजना का प्रारंभ किया गया है। चिरंजीवी योजना को PILOT PROJECT के रूप में प्रारंभ करने का विचार सरकार द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत लोकनिजी साझेदारी के तहत निजी प्राइवेट Practitioner गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गर्भवती महिलाओं को सुविधाएँ प्रदान कर संस्थागत प्रसव तथा Emergency Obstetric Care हेतु प्रोत्साहित कर मातृ मृत्यु दर को कम करना तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत साधारण अथवा जटिल प्रसव की सुविधा प्रदान करने हेतु निजी नर्सिंग होम के साथ जिला स्वास्थ्य समिति निबंध करेगी। सामान्य तथा जटिल प्रसवों का संबंधित जाँचों के लिए दर 100 प्रसवों के पैकेज हेतु 1,79,500/-रूपये (अर्थात् 1795/-रूपये प्रसव) देय होगी।

इकाई राशि (रू० में) - 1795/प्रसव

वित्तीय दिशा निर्देशन :

Out-Sourcing of Obstetric Services in Private Hospital				
S. No.	Type of Service	N0.of Patients	Rate	Total
1	Delivery			
	A. Normal Delivery	85	800	6800
	B. Complicated cases			
	1- Eclampsia		1000	
	2- Forceps/vacuum/breech	3	1000	3000
	3- Episiotomy		800	
	4- Septicemia	2	3000	6000
	5- Blood transfusion	3	1000	3000
	6- Cesarean (7 %)	7	5000	35,000
2	Predelivery visit	100	100	10000
3	Investigation	100	50	5000
4	Sonography	30	150	4500
5	NICU Support	10	1000	10,000
6	Food	100	100	10000
7	Dai (attendant)	100	50	5000
8	Transport	100	200	20000
			Total	179500

प्रस्तावित दो जिले यथा दरभंगा तथा पूर्णिया में चिरंजीवी योजना का प्रारंभ किया जाएगा है। इस योजना से संबंधित पत्र के साथ मार्ग दर्शिका, MOU, Checklist etc. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा भेजी जाएगी है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम - गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नं० : 9431005972, 7631696544

R

Signature

वित्तीय दिशा निर्देशन

कार्यक्रम का नाम- Family Friendly Hospital certification

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या- A.8.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

A Family friendly Hospital is a health care facility where the practitioners who provide care for women and babies adopt quality practices that aim to protect, promote and support activities conducive for the health of mother and baby viz; antenatal care, safe delivery, exclusive breastfeeding of neonate, and postnatal care in an enabling environment.

इकाई राशि (रु० लाख में)- 2.00 Lacs/facility(5 districts x 2 facilities)

वित्तीय दिशा निर्देशन- निम्न प्रकार है -इस राशि का उपयोग Family Friendly Hospital certification के लिए निम्नांकित गतिविधियों हेतु सुनिश्चित की जानी है ।

1.	Running water in Labour room /OT/OP/Toilets @ 24hrs
2.	Uninterrupted electric supply@ 24hrs
3.	safe drinking water (purchase of RO plant can be made)
4.	Functional autoclave
5.	Basic laboratory services available, Ambulance service Drugs available
6.	Bio-medical waste Management
7.	FRU: provides caesarean section/ blood transfusion services
8.	Privacy assured during examination
9.	labour room i. Essential equipments must be present in the labour room ii. Surgical scrub must be available. iii. Emergency drugs must be available iv. Disinfectant cleaning should be done
10.	OT i. Aseptic precautions followed (infection control protocols) ii. Ante room present iii. Disinfectant cleaning and fumigation must be done done iv. Windows not open
11.	Ward - clean linen, windows not broken
12.	Names of staff on duty displayed,signage must be displayed.

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर- 9431005972, 7631696544



